118

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2014/वैशाख 16, 1936
No. 246] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2014/VAISAKHA 16, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 319 (अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहाँ तक उनका संबंध सफदरजंग अस्पताल में रेडियो आइसोटोप के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल में रेडियो आइसोटोप के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पाताल, नई दिल्ली, रेडियो आइसोटोप के लिए प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड , ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(
रेडियोआइसोटोप के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन	3*)2013 (कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह , 'ख'(अराजपत्रित (अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन .रु 4200	लागू नहीं होता	वर्ष से अधिक 30 नहीं केन्द्रीय सरकार) समय -द्वारा समय पर जारी किए गएअनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ,05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है (टिप्पण-1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिमतारीख होगी ।(न कि वह अंतिम तारीख जो असम ,मेघालय , ,अरुणाचल प्रदेश	आवश्यक : (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाभिकीय औषधीय प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या

					,मिजोरम ,मणिपुर ,त्रिपुरा ,नागालैंड -जम्मू ,सिक्किम कश्मीर राज्य के ,लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बाजिले के -पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है(।	संस्थान से परास्नातक डिग्री या नाभिकीय औषधीय प्रौद्योगिकी में डिग्री या चिकित्सा रेडियोसोटोप में डिप्लोमा। टिप्पणअर्हताएं - अन्यथा सुआर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार लिखित में कारण लेखबद्ध करके, में शिथिल की जा सकेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई , हो।**	**भर्ती की पद्धतिभर्ती सीधे : होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा / पद्धतियों द्वारा तथा विभिन्न यों की भरी जाने वाली रिक्ति प्रतिशतता**
)8(	)9(	)10(
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अन्य परिस्थितियों के अधीन हुईं रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो सदृश पद धारण कर रहा है और स्तंभ)7के अधीन सीधी भर्ती वाले (व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते हों। टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अवधिजिसके अंतर्गत केंद्रीय , सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस से ठीक पहले धारित नियुक्ति काडर बाह्य पद परकिसी अन्य प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक 56 नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह पुष्टि के संबंध में विचार करने के) ति समितिविभागीय प्रोन्न 'ख' लिए(जिसमें निम्नलिखित होंगे -: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग , अस्पताल –अध्यक्ष 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष निदेशक या उपनिदेशक प्रशासन सदस्य - चिकित्सा अस्पता)ल अनुभाग का भार साधक (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 3. उप निदेशक प्रशासन स)फदरजंग अस्पताल (सदस्य –	लागू नहीं होता

[सं. ए-11018/03/2010 आर.आर-एच.एच.-III]

संजय पन्त, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2014

G.S.R. 319 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Laboratory Technician for Radioisotopes in the Safdarjung Hospital, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Technician for Radioisotopes in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, Laboratory Technician for Radioisotopes (Group 'B'Post) Recruitment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .**—The number of the said post, itsclassification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do,it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessionsrequired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes., Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Technician for Radioisotopes	3* (2013) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Not applicable.
Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	**Essential :** (a) Bachelor's Degree in Nuclear Medicine Technology from a recognised University or Institute. or (b) A Bachelor's Degree in Science from a recognised University or Institute and Post Graduate Degree or Diploma in Nuclear Medicine Technology or Diploma in Medical Radioisotope Technology from a recognised University or Institute. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C or Central Government for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman Head of Department concerned -Member Director or Deputy Director Administration (In-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Service -Member Deputy Director Administration (Safdarjung Hospital) -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A.11018/03/2010-RR (MH III]

SANJAY PANT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054